प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, लखनऊ : दिनांक : 05 सितम्बर, 2006

विषयः- राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति का क्रियान्वयन ।

महोदय,

तीव्रगामी परिवर्तन के युग में सरकारी सेवकों को जन समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने तथा इस मानव संसाधन को एक सक्षम एवं उत्प्रेरित जनशक्ति के रूप में बनाये रखने के उद्देश्य से प्रशिक्षण नीति की मूल भावना 'सभी के लिए प्रशिक्षण' के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/96-का-प्रसको-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशिक्षण नीति निर्गत की गयी है । प्रशिक्षण नीति के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से पूर्व में प्रशिक्षण प्रबन्धकों के नामांकन, प्रशिक्षण व्यय की मद में धनराशि के प्राविधान कराने तथा प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बद्धता के संबंध में समय-समय पर शासनादेश निर्गत किये गये हैं ।

2. उपर्युक्त के क्रम में निम्न कार्यवाही तत्परता से सम्पादित करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है :-

(1) शासन स्तर पर प्रत्येक विभाग में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अपर विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी को प्रशिक्षण प्रबन्धक नामित करते हुए, उसका सम्पूर्ण विवरण-यथा-नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम तथा दूरभाष संख्या, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ एवं कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दी जाय । विभाग/ कार्यालय में कार्यरत समस्त श्रेणी के कार्मिकों को आधारभूत प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं प्रोन्नति पर प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने का दायित्व प्रशिक्षण प्रबन्धक का होगा ।

(2) शासनादेश संख्या-1/1/96-टीसी-का-प्रसको/1998, दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 में दिये गये निर्देशानुसार, '44-प्रशिक्षण व्यय' की मद में, वेतन की मद में प्राविधानित धनराशि के एक प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के प्राविधान आय-व्ययक में निश्चित रूप से कराये जांय तथा प्राविधानित धनराशि का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाय । कृत कार्यवाही की सूचना उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ एवं कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायी जाये ।

(3) जिन विभागों के अपने प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, के द्वारा शासनादेश संख्या-1/15/98-का-प्रसको/1999, दिनांक 12 अगस्त,1999 के साथ संलग्न सूची के अनुसार अथवा यथावश्यकता किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से सम्बद्धता स्थापित

करते हुए, उसकी सूचना उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ तथा कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायी जाये ।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से सम्पादित करने का कष्ट करें । साथ ही अपने विभाग/संस्थान का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर व प्रशिक्षण की पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव तैयार कर, दिनांक 30 सितम्बर, 2006 तक महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश तथा कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें। इस संबंध में अनुश्रवण संबंधी कार्यवाही महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा यथाशीघ्र की जायेगी ।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव ।

संख्या-1/2/2006(1) का-प्रसको/2006, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश ।
4. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(उमेश सिन्हा)
सचिव ।